राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1323/2014/कोटा.
2. अपील संख्या – 1324/2014/कोटा.
3. अपील संख्या – 1325/2014/कोटा.

मैसर्स जे0 के0 सीमेन्ट लिमिटेड,
312, शॉपिंग सेन्टर, कोटा .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत–II, कोटा. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एल.पाटौदी, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 04/01/2018

निर्णय

1. यें अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर केम्प कोटा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 03, 07 एवं 08/वेट/2013–14 में पारित किये गये आदेश दिनांक 12.05.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–II, कोटा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 01.09.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रुप से स्वीकार कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

2. प्रकरण में विवाद का बिन्दु यह है कि अपीलार्थी व्यवसायी को आस्थगन योजना के तहत जो लाभ प्राप्त था उसमें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आस्थगन हेतु कर राशि की गणना आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स की राशि घटाने के परिणामतः प्राप्त राशि अर्थात Net Tax Payable राशि ही आस्थगित करना निर्णित किया गया जबकि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा पूर्ण आउटपुट टैक्स को ही Tax Payable मानते हुये आस्थगित किया गया जिसके विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा भी आदेश के इस बिन्दु की पुष्टि की गई है। इस बिन्दु पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा RSWM ltd. Vs. State of Raj. निर्णय दिनांक 24.11.2011 में निर्णय कर Tax payable को परिभाषित किया गया है जिसमें Net Tax Payable को ही Tax Payable माना गया है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में कर बोर्ड द्वारा उक्त समान विवादित बिन्दु पर अपील संख्या

लगातार.....2

1593/2014/अजमेर में दिनांक 01.06.2016 को निर्णय पारित किया जा चुका है। इस तरह उक्त प्रकरण का विवादित बिन्दु आदेश दिनांक 01.06.2016 से आच्छादित होने से अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।

3. उक्त अपीलों में दूसरा बिन्दु अपीलार्थी को रिप्स, 2003 के तहत प्राप्त सब्सिडी पर देय ब्याज से संबंधित है इस संबंध में स्वयं अपीलार्थी के प्रकरण में ही अपील संख्या 2054/2014/कोटा वर्ष 2008–09 कर बोर्ड द्वारा पूर्ण विवेचन के साथ अपीलार्थी द्वारा कम जमा कराई गई मांग राशि पर ब्याज देने एवं सब्सिडी राशि का भुगतान अपीलार्थी को विलम्ब से देने पर उक्त योजना के क्लॉज–10 अनुसार ब्याज देने हेतु आदेश कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जा चुका है अतः इस समान बिन्दु पर उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में इन वर्षों में भी विलम्ब से भुगतान की गई सब्सिडी राशि पर अपीलार्थी को ब्याज देने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है।

4. प्रस्तुत अपीलों में विवाद का तीसरा बिन्दु यह है कि आस्थगन योजना के तहत कर राशि जमा नहीं होने के आधार पर सब्सिडी का लाभ रिप्स योजना, 2003 के तहत नहीं दिया गया था उस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.10.2008 को जारी अधिसूचना F.4(18)FD/ TAX/Div/2001 के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

परिणामस्वरूप उक्त अपीलें आंशिक स्वीकार कर प्रकरणों को कर निर्धारण अधिकारी को पुनः आदेश हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य